(181)

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(पशुपालन)
अधिसूचना

पटना– 15, दिनांक :– 102/06/2014

संख्या– 7 स्था0 (4) लिपिक– 13/2012 1175(7)/ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन) के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग में भर्त्ती प्रक्रिया, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तो के लिये निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :–

पशुपालन निदेशालय अधीन कार्यरत लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2014

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**– (1) यह नियमावली बिहार पशुपालन निदेशालय (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) के अधीन लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा तथा पशुपालन निदेशालय (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) के सभी अधीनस्थ कार्यालयों पर समान रूप से लागू होगा।

   (3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ।**– इस नियमावली में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो:–

   (i) ''सम्वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार के पशुपालन निदेशालय (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) के अधीन लिपिकीय सेवा के कर्मियों का सम्वर्ग;

   (ii) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना;

   (iii) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना;

   (iv) ''नियत तिथि'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि; तथा

   (v) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है संवर्ग में नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इसमें इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व से संवर्ग में नियुक्त सभी व्यक्ति शामिल हैं; तथा

   (vi) ''अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति'' से अभिप्रेत है सेवाकाल में ऐसे सरकारी सेवकों के, जो अपनी सेवावधि में मृत हो गए हों, के आश्रितों में से किसी एक की प्रासंगिक परिपत्रों, अनुदेशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।

3. **संवर्ग की संरचना ।– लिपिकीय सम्वर्ग की सवंर्ग संरचना निम्नानुसार होगी–**

क्र0 सं0	कोटि का नाम	स्तर
(क)	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि
(ख)	उच्च वर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति का स्तर
(ग)	प्रधान लिपिक/लेखापाल– सह– प्रधान लिपिक /कार्यालय अधीक्षक	द्वितीय प्रोन्नति का स्तर
(घ)	प्रशासी पदाधिकारी/लेखा पदाधिकारी	तृतीय प्रोन्नति का स्तर

4. **संवर्ग बल** ।– संवर्ग बल ऐसा होगा जो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन) द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

5. **मूल कोटि के पद (निम्नवर्गीय लिपिक) पर भर्ती ।–**

(1) सीधी भर्ती –निम्न वर्गीय लिपिक पदबल का 85% पद सीधी भर्ती से भरा जायेगा। सीधी भर्ती आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जायेगी। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिश्चित प्रक्रियानुसार की जाएगी।

(2) निम्न वर्गीय लिपिक बल का शेष 15% पदों को निदेशालय के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों की नियमित स्थापना में कार्यरत एवं सेवा में पहले से सम्पुष्ट समूह 'घ' के ऐसे कर्मियों, जो न्यूनतम इन्टरमीडिएट (10+2) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा कम्प्यूटर पर टंकण में दक्षता रखते हों और जो न्यूनतम 5 वर्षो से सेवारत हों, में से वरीयता के आधार पर, क्षेत्रीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर, भरा जाएगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकार, प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल तक की रिक्तियों को ध्यान में रखेंगे और 30 अप्रैल तक आयोग को अधियाचना भेज देंगे।

(4) आयोग द्वारा ऐसी रिक्तियों का विज्ञापन किया जायेगा और उसके द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद आयोग द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को मेधाक्रम में अभ्यार्थियों के नाम की अनुशंसा की जायेगी। मेधासूची अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक वैध रहेगी।

(5) सम्यक जाँच पड़ताल करने के बाद नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थी की नियुक्ति दो वर्षों के लिए परिवीक्षा पर करेगा।

6. **अहर्त्ता** ।–(1) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण के ज्ञान के साथ, इन्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण अथवा समकक्ष होगी।

(2) भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(3) मूल कोटि (निम्नवर्गीय लिपिक) के पद पर आयोग की अनुशंसा से सीधी भर्ती, अनुकम्पा आधारित नियुक्ति तथा समूह "घ" के कर्मियों की प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के मामलों में उक्त अहर्त्ता अनिवार्य होगी।

7. **आरक्षण** ।– भर्ती एवं प्रोन्नति में, राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, अधिसूचित आरक्षण/ रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

8. **प्रोन्नति द्वारा मूल कोटि के पद (निम्नवर्गीय लिपिक) पर भर्ती** ।–

(1) नियुक्ति प्राधिकार द्वारा इन्टरमीडिएट (10+2) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण समूह 'घ' कर्मचारियों की प्रमंडल–वार वरीयता सूची तैयार की जायगी।

(2) प्रोन्नति वरीयतानुसार, क्षेत्रीय स्तर पर गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर, दी जायेगी।

9. **परिवीक्षा** ।– प्रत्येक भर्ती परिवीक्षा पर दो वर्षो के लिए होगी और विशेष परिस्थितियों में इसका विस्तार एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा, यदि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं हो। परिवीक्षा अवधि का ऐसा विस्तार तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त कर दिया जायेगा।

10. **विभागीय परीक्षा** ।–

(1) विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित की जायेगी।

(2) विभागीय परीक्षा के दो पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

11. **सम्पुष्टि** ।– कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति तथा विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद सम्पुष्ट किया जायेगा।

Qrd
5/6/11

(18) 199

12. वरीयता ।– संवर्ग के सदस्य की आपसी वरीयता, आयोग द्वारा उनकी मेधा स्थिति के अनुसार होगी अवधारित की जायगी किन्तु इस नियमावली के प्रवर्त्तन के पूर्व विनिश्चित की गयी आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी :

परन्तु अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से कनीय होंगे जो संबंधित भर्ती वर्षो में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये हैं :

परन्तु और कि किसी भर्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा में परिणाम के आधार पर नियुक्त व्यक्ति से वरीय होंगे।

13. प्रोन्नति ।–

(1) मूल कोटि से उच्चतर कोटि में प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा, समय–समय पर, अवधारित कालावधि के पूरा होने के बाद और क्षेत्रीय स्तर पर गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी।

(2) क्षेत्रीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित को मिलाकर गठित की जायगी :–

(क) क्षेत्रीय निदेशक	–	अध्यक्ष
(ख) दो वरीय जिला पशुपालन पदाधिकारी	–	सदस्य
(ग) नियुक्ति प्राधिकार द्वारा विनिश्चित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का एक पदाधिकारी	–	सदस्य
(घ) नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	–	सदस्य

(3) केन्द्रीय संयुक्त संवर्ग के लिपिकों की प्रोन्नति संबंधी अनुशंसा निदेशक, पशुपालन द्वारा गठित प्रोन्नति समिति द्वारा की जायेगी।

14. संवर्ग का स्तर ।– यह संवर्ग प्रमंडल स्तरीय होगा। संवर्ग के सदस्यों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन सहित अन्य स्थापना के मामलों हेतु निदेशक, पशुपालन सक्षम प्राधिकार होंगे।

15. अवशिष्ट मामले ।– ऐसे मामलों के संबंध में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं है; संवर्गो के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होंगे।

16. कठिनाईयों का निराकरण ।– नियमावली से संबंधित किसी भी कठिनाई का निराकरण सामान्य प्रशासन विभाग या वित्त विभाग के परामर्श से किया जायेगा।

17. शिथिल करने की शक्ति ।– जहाँ कहीं भी विभाग की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, वहाँ लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, विभाग किसी व्यक्ति

२८/६/१७

या किसी कोटि के संबंधित इस नियमावली के किसी प्रावधान को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

18. निर्वचन।— इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, की दशा में मामला सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

19. निरसन एवं व्यावृत्ति।— (1) इस संवर्ग के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी, ऐसे संकल्प, अनुदेश में प्रदत्त किसी शक्ति के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई समझी जायेगी मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य या कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव)

सरकार के उपसचिव

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग।

ज्ञाप संख्या–7 स्था0 (4) लिपिक– 13/2012 1176 पटना, दिनांक 02.03 /2014

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि राजपत्र (गजट) की 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

सरकार के उपसचिव

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग।

ज्ञाप संख्या–7 स्था0 (4) लिपिक– 13/2012 1176 पटना, दिनांक 02.03 /2014

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उपसचिव

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग।

ज्ञाप संख्या–7 स्था0 (4) लिपिक– 13/2012 1176 (नि०) पटना, दिनांक 02/06/2014

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, विधि विभाग, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/पशुपालन निदेशालय के नियंत्रणाधीन सभी कार्यालय के कार्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उपसचिव

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग।